

अधिकरण - ग्याहरवें सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, इंदौर
{ समक्ष : महेश कुमार झा }

रजिस्ट्रेशन क्र0-352/2020

फायलिंग क. 848/2020

सीएनआर क. एमपी0901003462/2020

फायलिंग दिनांक-27.01.2020

01. श्रीमती मधु पति महेश पंवार
उम्र-48 साल, व्यवसाय-नौकरी
निवासी-87 झोपड पट्टी सीआरपी
लाईन इंदौर।

-----आवेदक

// बनाम //

01. ओरियेंटल इश्योरेंस कंपनी लि.
नि-7 रेसकोर्स रोड आईडीए बिल्डिंग
चौथी तल इंदौर
02. नितिन पिता मोहन मेडलोई
उम्र, 21 साल व्यवसाय- चालक
निवासी-ग्राम खुडैल जिला इंदौर
03. प्रशांत पिता संतोष चौधरी निवासी-
490 ग्राम खुडैल इंदौर

----- अनावेदकगण

आवेदक द्वारा	-श्री धर्मेन्द्र गुर्जर अधि।
अनावेदक क्र.1 द्वारा	-श्री मेहूल नेवी अधि.
अनावेदक क्र. 2 व 3	- अनिर्वाहित।

-:: अधिनिर्णय ::-

{ आज दिनांक 25 जनवरी 2022 को घोषित }

1 आवेदक की ओर से यह क्षतिपूर्ति आवेदन पत्र नियम 220-1 धारा 166 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 27.01.2020 को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अनावेदक कं. 01, 02 एवं 03 जो दुर्घटनाकारी वाहन के कमशः बीमा कंपनी, चालक एवं मालिक है, से संयुक्ततः अथवा पृथक-पृथक 1,00,000/- (एक लाख रुपये) रुपये क्षतिपूर्ति एवं उस पर अधिनिर्णय दिनांक तक योग्य ब्याज दर से दिलाये जाने जाने का निवेदन किया है।

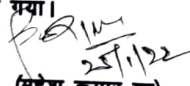
(महेश कुमार झा)
सदस्य
ग्याहरवें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
इंदौर (म.प्र.)

02. इस प्रकरण में आवेदक एवं अना.क. 01 बीमा कंपनी ने दिनांक 25.01.2022 को एक राजीनामा का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर राजीनामा में दर्ज शर्तों के अनुसार अवार्ड दिये जाने का निवेदन किया। आवेदन के संघ में उभयपक्षों को सुना गया। उन्होंने राजीनामा स्वेच्छा से करना प्रकट किया। राजीनामा विधि अनुसार है तथा उसके अनुसार इस प्रकरण में अवार्ड दिया जा सकता है। राजीनामा अनुसार यह तय किया गया कि अना.क.01 बीमा कंपनी द्वारा रुपये 31,000/- (इकतीस हजार रुपये) क्षतिपूर्ति आवेदक को देगा। बीमा कंपनी उक्त राशि एक माह के अन्दर न्यायालय में जमा करेगी एवं एक माह पश्चात ब्याज छः प्रतिशत सहित जमा करेगी। शेष अन्य कोई क्षतिपूर्ति राशि आवेदक पाने का अधिकारी नहीं होगा। यदि कोई अन्तरिम राशि अदा की गई है, तो वह समायोजित की जाएगी।

03. अतः राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा राजीनामा के अनुसार निम्नलिखित अवार्ड दिया जाता है :-

01. अना.क. 01 बीमा कंपनी, आवेदक को क्षतिपूर्ति राशि रु. 31,000/- जमा करे एवं एक माह पश्चात ब्याज छः प्रतिशत सहित जमा करे।
02. न्यायालय में जमा राशि का व्ययन अग्रिम दिये जा रहे हैं, आदेशानुसार किया जाएगा।
03. राजीनामा आवेदन-पत्र इस अवार्ड का अंग होगा।
04. आवेदक को क्षतिपूर्ति राशि 31,000/- (इकतीस हजार रुपये) आवेदक को उसके बचत खाते के माध्यम से नगद अदा किया जाये।

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में घोषित, दिनांकित व हस्ताक्षरित किया गया।


(महेश कुमार झा)
ग्याहरवे सदस्य मोटर दुर्घटना
दावा अधिकरण, इन्दौर इंदौर म0प्र0

मेरे निर्देशन पर टंकित।


(महेश कुमार झा)
ग्याहरवे सदस्य मोटर दुर्घटना
दावा अधिकरण, इन्दौर इंदौर म0प्र0